राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

क्रमांक–एफ. 3(4)पोषा/निरीक्षण/ICDS/2013/ 19514-46 जयपुर, दिनांक 19-2-16

उप निदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त।

विषय :– पूरक पोषाहार के वितरण के संबंध में।
प्रसंग :– समसंख्यक विभागीय आदेश क्रमांक 137771–803 दि. 11.10.2013, 31247–79 दिनांक 07.04.2014, 35408–757 दि. 11.04.2014, 54053–85 दिनांक 17.06.2015, 71221–557 दि. 31.07.2015, 85030–63 दिनांक 10.09.2015 एवं 112094–2126 दि. 10.12.2015

विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्रों द्वारा लाभान्वितों को उपलब्ध कराये जा रहे पूरक पोषाहार का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक आंगनबाडी केन्द्र पर पोषाहार वितरण (Take Home Ration) का रजिस्टर बनाया जाकर पोषाहार वितरण का लेखा–जोखा निर्धारित प्रारूप में संधारित करने, सभी आंगनबाडी केन्द्रों पर लाभान्वितों को टेक हॉम राशन का वितरण गुरूवार को ही करने एवं ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तर के अधिकारियों को यथा सम्भव अपने दौरे में मंगलवार एवं बुधवार को शामिल करने के निर्देश जारी किये गये है, ताकि गुरूवार को वितरण से पूर्व पोषाहार की जांच की जा सकें। साथ ही उक्तानुसार की जाने वाली व्यवस्था की जानकारी स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी दिये जाने एवं पोषाहार का वितरण यथा सम्भव जनप्रतिनिधियों अथवा समेकित बाल विकास सेवाओं हेतु आंगनबाडी स्तरीय निगरानी व सहायता समिति के सदस्यों (आशा सहयोगिनी, सखी व आंगनबाडी कार्यकर्ता को छोडकर) की उपस्थिति में किये जाने तथा उनके उपस्थित होने पर पोषाहार वितरण पंजिका पर उनके हस्ताक्षर कराने के निर्देश जारी किये गये है।

विभागीय अधिकारियों द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया है कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पोषाहार स्टॉक एवं वितरण रजिस्टर या तो संधारित नहीं किया जा रहा है अथवा अपूर्ण पाये जाते हैं, जिससे पोषाहार के दुरूपयोग की सम्भावना रहती है। अतः इस सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि महिला पर्यवेक्षक द्वारा स्वयं सहायता समूहों के बिल प्रमाणित करते समय बिल पर यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया जायेगा कि इस पोषाहार का इन्द्राज पोषाहार स्टॉक रजिस्टर में कर लिया गया है एवं पोषाहार वितरण रजिस्टर नियमित रूप से संधारित किया जा रहा है। उक्त निर्देशों की पालना करते हुए स्वयं सहायता समूहों को भुगतान की कार्यवाही निर्धारित समय पर किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक

क्रमांक–एफ. 3(4)पोषा/निरीक्षण/ICDS/2013/ 19547-996 जयपुर, दिनांकः 19. 2.16

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. विशिष्ट सहायक, मा. राज्यमंत्री महोदया, मबावि, राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, मबावि, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राज. जयपुर।
4. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय।
5. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त।
6. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर शाखा को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

(डॉ. ब्रज भूषण शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)